**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 207**

**1 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए**

**2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन**

**207. श्री राम कुमार कश्यप:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या यह सच है कि पेंशन एवं पेंशन-भोगी कल्याण विभाग ने 2006 से पूर्व के पेंशन-भोगियों की पेंशन के संशोधन के संबंध में दिनांक 30 जुलाई, 2015 को एक कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अनुभाग अधिकारी (सिव.) एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), प्रशा. (सिव.) निदेशालय को 2006 से पूर्व के पेंशन-भोगियों से उनकी पेंशन में 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशन-भोगियों की पेंशन को 1 जनवरी, 2006 से संशोधित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और उन्हें बकाए का भुगतान किस तिथि तक कर दिया जाएगा ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)**

(क) जी, हां ।

कार्यालय ज्ञापन का सार यह है कि 2006 से पहले के सभी पेंशन-भोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को पेंशन एवं पेंशन-भोगी कल्याण विभाग के दिनांक 28.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 24.09.2012 के स्थान पर 01.01.2006 से संशोधित किया जाएगा ।

(ख) एवं (ग) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । तथापि, सिविलियन कार्मिक निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) ने सभी संबंधितों को भाग (क) में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है ।

\*\*\*\*\*